

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5408

दिनांक: 31.07.2018

—: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विविध/झाला / 18/22757-58 दिनांक 20.07.18 से पुलिस थाना रायपुर के अभियोग सं० 122/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सिद्धार्थ चौधरी पुत्र रमेशचंद जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रतनपुरा थाना छीपाबडोद जिला बांरा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2018 को श्री कुंवरपाल सिंह हैड कानिस्टेबल 343 मय जाप्ता के अवैध कार्यों की चेकिंग व धरपकड़ हेतु गश्त करते हुए कस्बा रायपुर नयागांव इंदौर रोड से सुवास तिराहे पर पहुंचा एवं नाकाबंदी के दौरान जर्ज मुखबिर इत्तला मिली कि एक व्यक्ति चंवली तिराया इधर उधर चक्कर लगा रहा है, जिसके पास कोई अवैध हथियार हो सकता है। चंवली तिराहे पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पेंट शर्ट पहने नजर आया जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको जाप्ते की इमदाद से पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सिद्धार्थ चौधरी पुत्र रमेशचंद जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रतनपुरा थाना छीपाबडोद जिला बांरा बताया। जिसकी तलाशी में एक देशी रिवाल्वर मिली। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एवं गवाहान के कथन लेखबद्ध किये। अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड़ से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने बताया कि देशी रिवाल्वर 7.65 एमएम लोकल मेटल लोहे का बना हुआ। रिवाल्वर 6 चेम्बर वाला है। रिवाल्वर पर हल्का जंग लगा हुआ है। मौजूदा समय में इसके सभी पार्ट्स सही कार्यरत है। उक्त रिवाल्वर फायर करने योग्य है, जो फायर आर्म्स की जद में आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुजान सिंह एसआई 255 व आर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी रिवाल्वर को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त सिद्धार्थ चौधरी पुत्र रमेशचंद जाति जाट उम्र 40 साल निवासी रतनपुरा थाना छीपाबडोद जिला बांरा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

